



THE JHARKHAND GAZETTE

EXTRAORDINARY
PUBLISHED BY AUTHORITY

No. 957

13 Aashwin, 1940(S)

Ranchi, Friday, 5th October, 2018

COMMERCIAL TAXES DEPARTMENT

Notification

4th October, 2018

Notification No. 49/2018 – State Tax

S.O. No-76 Dated- 5th October, 2018-- In exercise of the powers conferred by section 164 of the Jharkhand Goods and Services Tax Act, 2017 (12 of 2017), the Government of Jharkhand hereby makes the following rules further to amend the Jharkhand Goods and Services Tax Rules, 2017, namely:-

- (1) These rules may be called the Jharkhand Goods and Services Tax (Tenth Amendment) Rules, 2018.
(2) They shall come into force from 13th September, 2018.
- In the FORMS to the Jharkhand Goods and Services Tax Rules, 2017, after **FORM GSTR-9A**, the following shall be inserted, namely:-

“FORM GSTR-9C
See rule 80(3)
PART – A - Reconciliation Statement

Pt. I	Basic Details	
1	Financial Year	
2	GSTIN	
3A	Legal Name	< Auto>
3B	Trade Name (if any)	<Auto>
4	Are you liable to audit under any Act?	<<Please specify>>
		(Amount in ₹ in all tables)
Pt. II	Reconciliation of turnover declared in audited Annual Financial Statement with turnover declared in Annual Return (GSTR9)	
5	Reconciliation of Gross Turnover	
A	Turnover (including exports) as per audited financial statements for the State / UT (For multi-GSTIN units under same PAN the turnover shall be derived from the audited Annual Financial Statement)	
B	Unbilled revenue at the beginning of Financial Year	(+)
C	Unadjusted advances at the end of the Financial Year	(+)
D	Deemed Supply under Schedule I	(+)
E	Credit Notes issued after the end of the financial year but reflected in the annual return	(+)
F	Trade Discounts accounted for in the audited Annual Financial Statement but are not permissible under GST	(+)
G	Turnover from April 2017 to June 2017	(-)
H	Unbilled revenue at the end of Financial Year	(-)
I	Unadjusted Advances at the beginning of the Financial Year	(-)
J	Credit notes accounted for in the audited Annual Financial Statement but are not permissible under GST	(-)
K	Adjustments on account of supply of goods by SEZ units to DTA Units	(-)
L	Turnover for the period under composition scheme	(-)
M	Adjustments in turnover under section 15 and rules there under	(+/-)
N	Adjustments in turnover due to foreign exchange fluctuations	(+/-)
O	Adjustments in turnover due to reasons not listed above	(+/-)
P	Annual turnover after adjustments as above	<Auto>
Q	Turnover as declared in Annual Return (GSTR9)	
R	Un-Reconciled turnover (Q - P)	AT1
6	Reasons for Un - Reconciled difference in Annual Gross Turnover	
A	Reason 1	<<Text>>
B	Reason 2	<<Text>>
C	Reason 3	<<Text>>

7		Reconciliation of Taxable Turnover				
A	Annual turnover after adjustments (from 5P above)	<Auto >				
B	Value of Exempted, Nil Rated, Non-GST supplies, No-Supply turnover					
C	Zero rated supplies without payment of tax					
D	Supplies on which tax is to be paid by the recipient on reverse charge basis					
E	Taxable turnover as per adjustments above (A-B-C-D)	<Auto>				
F	Taxable turnover as per liability declared in Annual Return (GSTR9)					
G	Unreconciled taxable turnover (F-E)	AT 2				
8		Reasons for Un - Reconciled difference in taxable turnover				
A	Reason 1	<<Text>>				
B	Reason 2	<<Text>>				
C	Reason 3	<<Text>>				
Pt. III		Reconciliation of tax paid				
9		Reconciliation of rate wise liability and amount payable thereon				
			Tax payable			
	Description	Taxable Value	Central tax	State tax / UT tax	Integrated Tax	Cess, if applicable
	1	2	3	4	5	6
A	5%					
B	5% (RC)					
C	12%					
D	12% (RC)					
E	18%					
F	18% (RC)					
G	28%					
H	28% (RC)					
I	3%					
J	0.25%					
K	0.10%					
L	Interest					
M	Late Fee					
N	Penalty					
O	Others					
P	Total amount to be paid as per tables above		<Auto>	<Auto>	<Auto>	<Auto>
Q	Total amount paid as declared in Annual Return (GSTR 9)					
R	Un-reconciled payment of amount		PT 1			
10		Reasons for un-reconciled payment of amount				
A	Reason 1	<<Text>>				
B	Reason 2	<<Text>>				
C	Reason 3	<<Text>>				

11	Additional amount payable but not paid (due to reasons specified under Tables 6,8 and 10 above)					
			To be paid through Cash			
	Description	Taxable Value	Central tax	State tax / UT tax	Integrated tax	Cess, if applicable
	1	2	3	4	5	6
	5%					
	12%					
	18%					
	28%					
	3%					
	0.25%					
	0.10%					
	Interest					
	Late Fee					
	Penalty					
	Others (please specify)					
Pt. IV	Reconciliation of Input Tax Credit (ITC)					
12	Reconciliation of Net Input Tax Credit (ITC)					
A	ITC availed as per audited Annual Financial Statement for the State/ UT (For multi-GSTIN units under same PAN this should be derived from books of accounts)					
B	ITC booked in earlier Financial Years claimed in current Financial Year				(+)	
C	ITC booked in current Financial Year to be claimed in subsequent Financial Years				(-)	
D	ITC availed as per audited financial statements or books of account				<Auto>	
E	ITC claimed in Annual Return (GSTR9)					
F	Un-reconciled ITC				ITC 1	
13	Reasons for un-reconciled difference in ITC					
A	Reason 1	<<Text>>				
B	Reason 2	<<Text>>				
C	Reason 3	<<Text>>				
14	Reconciliation of ITC declared in Annual Return (GSTR9) with ITC availed on expenses as per audited Annual Financial Statement or books of account					
	Description	Value	Amount of Total ITC	of	Amount of eligible ITC availed	
	1	2	3	4		
A	Purchases					
B	Freight / Carriage					
C	Power and Fuel					
D	Imported goods (Including received from SEZs)					
E	Rent and Insurance					

F	Goods lost, stolen, destroyed, written off or disposed of by way of gift or free samples					
G	Royalties					
H	Employees' Cost (Salaries, wages, Bonus etc.)					
I	Conveyance charges					
J	Bank Charges					
K	Entertainment charges					
L	Stationery Expenses (including postage etc.)					
M	Repair and Maintenance					
N	Other Miscellaneous expenses					
O	Capital goods					
P	Any other expense 1					
Q	Any other expense 2					
R	Total amount of eligible ITC availed			<<Auto>>		
S	ITC claimed in Annual Return (GSTR9)					
T	Un-reconciled ITC			ITC 2		
15	Reasons for un - reconciled difference in ITC					
A	Reason 1	<<Text>>				
B	Reason 2	<<Text>>				
C	Reason 3	<<Text>>				
16	Tax payable on un-reconciled difference in ITC (due to reasons specified in 13 and 15 above)					
	Description	Amount Payable				
	Central Tax					
	State/UT Tax					
	Integrated Tax					
	Cess					
	Interest					
	Penalty					
Pt. V	Auditor's recommendation on additional Liability due to non-reconciliation					
			To be paid through Cash			
	Description	Value	Central tax	State tax / UT tax	Integrated tax	Cess, if applicable
	1	2	3	4	5	6
	5%					
	12%					
	18%					
	28%					

3%					
0.25%					
0.10%					
Input Tax Credit					
Interest					
Late Fee					
Penalty					
Any other amount paid for supplies not included in Annual Return (GSTR 9)					
Erroneous refund to be paid back					
Outstanding demands to be settled					
Other (Pl. specify)					

Verification:

I hereby solemnly affirm and declare that the information given herein above is true and correct to the best of my knowledge and belief and nothing has been concealed there from.

**** (Signature and stamp/Seal of the Auditor)**

Place:

Name of the signatory

Membership No.....

Date:

Full address

Instructions: –

1. Terms used:

(a) GSTIN: Goods and Services Tax Identification Number

- The details for the period between July 2017 to March 2018 are to be provided in this statement for the financial year 2017-18. The reconciliation statement is to be filed for every GSTIN separately.
- The reference to current financial year in this statement is the financial year for which the reconciliation statement is being filed for.
- Part II consists of reconciliation of the annual turnover declared in the audited Annual Financial Statement with the turnover as declared in the Annual Return furnished in FORM GSTR-9 for this GSTIN. The instructions to fill this part are as follows :-

Table No.	Instructions
5A	The turnover as per the audited Annual Financial Statement shall be declared here. There may be cases where multiple GSTINs (State-wise) registrations exist on the same PAN. This is common for persons / entities with presence over multiple States. Such persons / entities, will have to internally derive their GSTIN wise turnover and declare the same here. This shall include export turnover (if any). It may be noted that reference to audited Annual Financial Statement includes reference to books of accounts in case of persons / entities having presence over multiple States.
5B	<p>Unbilled revenue which was recorded in the books of accounts on the basis of accrual system of accounting in the last financial year and was carried forward to the current financial year shall be declared here. In other words, when GST is payable during the financial year on such revenue (which was recognized earlier), the value of such revenue shall be declared here.</p> <p>(For example, if rupees Ten Crores of unbilled revenue existed for the financial year 2016-17, and during the current financial year, GST was paid on rupees Four Crores of such revenue, then value of rupees Four Crores rupees shall be declared here)</p>
5C	Value of all advances for which GST has been paid but the same has not been recognized as revenue in the audited Annual Financial Statement shall be declared here.
5D	Aggregate value of deemed supplies under Schedule I of the CGST Act, 2017 shall be declared here. Any deemed supply which is already part of the turnover in the audited Annual Financial Statement is not required to be included here.
5E	Aggregate value of credit notes which were issued after 31 st of March for any supply accounted in the current financial year but such credit notes were reflected in the annual return (GSTR-9) shall be declared here.
5F	Trade discounts which are accounted for in the audited Annual Financial Statement but on which GST was leviable (being not permissible) shall be declared here.
5G	Turnover included in the audited Annual Financial Statement for April 2017 to June 2017 shall be declared here.

5H	Unbilled revenue which was recorded in the books of accounts on the basis of accrual system of accounting during the current financial year but GST was not payable on such revenue in the same financial year shall be declared here.
5I	Value of all advances for which GST has not been paid but the same has been recognized as revenue in the audited Annual Financial Statement shall be declared here.
5J	Aggregate value of credit notes which have been accounted for in the audited Annual Financial Statement but were not admissible under Section 34 of the SGST Act shall be declared here.
5K	Aggregate value of all goods supplied by SEZs to DTA units for which the DTA units have filed bill of entry shall be declared here.
5L	There may be cases where registered persons might have opted out of the composition scheme during the current financial year. Their turnover as per the audited Annual Financial Statement would include turnover both as composition taxpayer as well as normal taxpayer. Therefore, the turnover for which GST was paid under the composition scheme shall be declared here.
5M	There may be cases where the taxable value and the invoice value differ due to valuation principles under section 15 of the SGST Act, 2017 and rules thereunder. Therefore, any difference between the turnover reported in the Annual Return (GSTR 9) and turnover reported in the audited Annual Financial Statement due to difference in valuation of supplies shall be declared here.
5N	Any difference between the turnover reported in the Annual Return (GSTR9) and turnover reported in the audited Annual Financial Statement due to foreign exchange fluctuations shall be declared here.
5O	Any difference between the turnover reported in the Annual Return (GSTR9) and turnover reported in the audited Annual Financial Statement due to reasons not listed above shall be declared here.
5Q	Annual turnover as declared in the Annual Return (GSTR 9) shall be declared here. This turnover may be derived from Sr. No. 5N, 10 and 11 of Annual Return (GSTR 9).
6	Reasons for non-reconciliation between the annual turnover declared in the audited Annual Financial Statement and turnover as declared in the Annual Return (GSTR 9) shall be specified here.
7	The table provides for reconciliation of taxable turnover from the audited annual turnover after adjustments with the taxable turnover declared in annual return (GSTR-9).

7A	Annual turnover as derived in Table 5P above would be auto-populated here.
7B	Value of exempted, nil rated, non-GST and no-supply turnover shall be declared here. This shall be reported net of credit notes, debit notes and amendments if any.
7C	Value of zero rated supplies (including supplies to SEZs) on which tax is not paid shall be declared here. This shall be reported net of credit notes, debit notes and amendments if any.
7D	Value of reverse charge supplies on which tax is to be paid by the recipient shall be declared here. This shall be reported net of credit notes, debit notes and amendments if any.
7E	The taxable turnover is derived as the difference between the annual turnover after adjustments declared in Table 7A above and the sum of all supplies (exempted, non-GST, reverse charge etc.) declared in Table 7B, 7C and 7D above.
7F	Taxable turnover as declared in Table 4N of the Annual Return (GSTR9) shall be declared here.
8	Reasons for non-reconciliation between adjusted annual taxable turnover as derived from Table 7E above and the taxable turnover declared in Table 7F shall be specified here.

5. Part III consists of reconciliation of the tax payable as per declaration in the reconciliation statement and the actual tax paid as declared in Annual Return (GSTR9). The instructions to fill this part are as follows :-

Table No.	Instructions
9	The table provides for reconciliation of tax paid as per reconciliation statement and amount of tax paid as declared in Annual Return (GSTR 9). Under the head labelled "RC", supplies where tax was paid on reverse charge basis by the recipient (i.e. the person for whom reconciliation statement has been prepared) shall be declared.
9P	The total amount to be paid as per liability declared in Table 9A to 9O is auto populated here.
9Q	The amount payable as declared in Table 9 of the Annual Return (GSTR9) shall be declared here. It should also contain any differential tax paid on Table 10 or 11 of the Annual Return (GSTR9).

10	Reasons for non-reconciliation between payable / liability declared in Table 9P above and the amount payable in Table 9Q shall be specified here.
11	Any amount which is payable due to reasons specified under Table 6, 8 and 10 above shall be declared here.

6. Part IV consists of reconciliation of Input Tax Credit (ITC). The instructions to fill Part IV are as under:-

Table No.	Instructions
12A	ITC availed (after reversals) as per the audited Annual Financial Statement shall be declared here. There may be cases where multiple GSTINs (State-wise) registrations exist on the same PAN. This is common for persons / entities with presence over multiple States. Such persons / entities, will have to internally derive their ITC for each individual GSTIN and declare the same here. It may be noted that reference to audited Annual Financial Statement includes reference to books of accounts in case of persons / entities having presence over multiple States.
12B	Any ITC which was booked in the audited Annual Financial Statement of earlier financial year(s) but availed in the ITC ledger in the financial year for which the reconciliation statement is being filed for shall be declared here. This shall include transitional credit which was booked in earlier years but availed during Financial Year 2017-18.
12C	Any ITC which has been booked in the audited Annual Financial Statement of the current financial year but the same has not been credited to the ITC ledger for the said financial year shall be declared here.
12D	ITC availed as per audited Annual Financial Statement or books of accounts as derived from values declared in Table 12A, 12B and 12C above will be auto-populated here.
12E	Net ITC available for utilization as declared in Table 7J of Annual Return (GSTR9) shall be declared here.
13	Reasons for non-reconciliation of ITC as per audited Annual Financial Statement or books of account (Table 12D) and the net ITC (Table 12E) availed in the Annual Return (GSTR9) shall be specified here.

14	This table is for reconciliation of ITC declared in the Annual Return (GSTR9) against the expenses booked in the audited Annual Financial Statement or books of account. The various sub-heads specified under this table are general expenses in the audited Annual Financial Statement or books of account on which ITC may or may not be available. Further, this is only an indicative list of heads under which expenses are generally booked. Taxpayers may add or delete any of these heads but all heads of expenses on which GST has been paid / was payable are to be declared here.
14R	Total ITC declared in Table 14A to 14Q above shall be auto populated here.
14S	Net ITC availed as declared in the Annual Return (GSTR9) shall be declared here. Table 7J of the Annual Return (GSTR9) may be used for filing this Table.
15	Reasons for non-reconciliation between ITC availed on the various expenses declared in Table 14R and ITC declared in Table 14S shall be specified here.
16	Any amount which is payable due to reasons specified in Table 13 and 15 above shall be declared here.

7. Part V consists of the auditor's recommendation on the additional liability to be discharged by the taxpayer due to non-reconciliation of turnover or non-reconciliation of input tax credit. The auditor shall also recommend if there is any other amount to be paid for supplies not included in the Annual Return. Any refund which has been erroneously taken and shall be paid back to the Government shall also be declared in this table. Lastly, any other outstanding demands which is recommended to be settled by the auditor shall be declared in this Table.
8. Towards, the end of the reconciliation statement taxpayers shall be given an option to pay their taxes as recommended by the auditor.

PART – B- CERTIFICATION

I. Certification in cases where the reconciliation statement (FORM GSTR-9C) is drawn up by the person who had conducted the audit:

* I/we have examined the—

(a) balance sheet as on

(b) the *profit and loss account/income and expenditure account for the period beginning fromto ending on, and

(c) the cash flow statement for the period beginning fromto ending on, —attached herewith, of M/s

(Name),..... (Address),(GSTIN).

2. Based on our audit I/we report that the said registered person—

*has maintained the books of accounts, records and documents as required by the Jharkhand SGST Act, 2017 and the rules/notifications made/issued thereunder

*has not maintained the following accounts/records/documents as required by the Jharkhand SGST Act, 2017 and the rules/notifications made/issued thereunder:

1.

2.

3.

3. (a) *I/we report the following observations/ comments / discrepancies / inconsistencies; if any:

.....

.....

3. (b) *I/we further report that, -

(A) *I/we have obtained all the information and explanations which, to the best of *my/our knowledge and belief, were necessary for the purpose of the audit/ information and explanations which, to the best of *my/our knowledge and belief, were necessary for the purpose of the audit were not provided/partially provided to us.

(B) In *my/our opinion, proper books of account *have/have not been kept by the registered person so far as appears from*my/ our examination of the books.

(C) I/we certify that the balance sheet, the *profit and loss/income and expenditure account and the cash flow Statement are *in agreement/not in agreement with the books of account maintained at the Principal place of business atand **additional place of business within the State.

4. The documents required to be furnished under section 35 (5) of the SGST Act and Reconciliation Statement required to be furnished under section 44(2) of the SGST Act is annexed herewith in Form No. GSTR-9C.

5. In *my/our opinion and to the best of *my/our information and according to explanations given to *me/us, the particulars given in the said Form No.GSTR-9C are true and correct subject to following observations/qualifications, if any:

(a)

(b)

(c)

.....

.....

** (Signature and stamp/Seal of the Auditor)

Place:

Name of the signatory

Membership No.....

Date:

Full address

II. Certification in cases where the reconciliation statement (FORM GSTR-9C) is drawn up by a person other than the person who had conducted the audit of the accounts:

*I/we report that the audit of the books of accounts and the financial statements of M/s. (Name and address of the assessee with GSTIN) was conducted by M/s. (full name and address of auditor along with status), bearing membership number in pursuance of the provisions of theAct, and *I/we annex hereto a copy of their audit report dated along with a copy of each of :-

- (a) balance sheet as on
- (b) the *profit and loss account/income and expenditure account for the period beginning fromto ending on,
- (c) the cash flow statement for the period beginning fromto ending on, and
- (d) documents declared by the said Act to be part of, or annexed to, the *profit and loss account/income and expenditure account and balance sheet.

2. I/we report that the said registered person—

*has maintained the books of accounts, records and documents as required by the Jharkhand SGST Act, 2017 and the rules/notifications made/issued thereunder

*has not maintained the following accounts/records/documents as required by the Jharkhand SGST Act, 2017 and the rules/notifications made/issued thereunder:

- 1.
- 2.
- 3.

3. The documents required to be furnished under section 35 (5) of the SGST Act and Reconciliation Statement required to be furnished under section 44(2) of the SGST Act is annexed herewith in Form No.GSTR-9C.

4. In *my/our opinion and to the best of *my/our information and according to examination of books of account including other relevant documents and explanations given to *me/us, the particulars given in the said Form No.9C are true and correct subject to the following observations/qualifications, if any:

- (a)
- (b)
- (c)

.....

** (Signature and stamp/Seal of the Auditor)

Place:

Name of the signatory

Membership No.....

Date:

Full address"

[File.No Va Kar / GST / 04/ 2018]
By the order of the Governor of Jharkhand

K. K. Khandelwal,

Additional Chief Secretary

Note:- The principal rules were published in the Gazette of Jharkhand, Extraordinary, vide S.O. No. 28, dated the 28th June, 2017, and last amended vide notification No. 48/2018-State Tax, dated the 05 October 2018, published vide S.O. No-75 dated the 05 October, 2018.

वाणिज्य-कर विभाग

अधिसूचना

4 अक्टूबर, 2018

अधिसूचना सं०. 49/2018- राज्य कर

एस. ओ. सं. 76 - दिनांक 5 अक्टूबर, 2018-- झारखण्ड सरकार, झारखण्ड माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 12) की धारा 164 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, झारखण्ड माल और सेवा कर नियमावली, 2017 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :-

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम झारखण्ड माल और सेवा कर (दसवां संशोधन) नियमावली, 2018 है ।

(2) ये तारीख 13 सितंबर, 2018 से प्रवृत्त होंगे ।

2. झारखण्ड माल और सेवा कर नियमावली, 2017 के प्ररूपों में, प्ररूप जीएसटीआर-9क के पश्चात्, निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

“प्ररूप जीएसटीआर-9क

नियम 80(3) देखें

भाग क—समाधान विवरण

भाग. I	मूलभूत ब्यौरे	
1	वित्तीय वर्ष	
2	जीएसटीआईएन	
3क	विधिक नाम	<स्व>
3ख	व्यापार नाम (यदि कोई हो)	<स्व>
4	क्या आप किसी अधिनियम के अधीन किसी संपरीक्षा के दायी हैं ? <<कृपया विनिर्दिष्ट करें>>	
	(सभी सारणियों में रकम रूप में)	
भाग. II	वार्षिक रिटर्न (जीएसटीआर-9) में घोषित आवर्त सहित वार्षिक संपरीक्षित वित्तीय विवरण में घोषित आवर्त का समाधान	
5	सकल आवर्त का समाधान	
क	राज्य/संघराज्यक्षेत्र के लिए संपरीक्षित वित्तीय विवरणों के अनुसार आवर्त (जिसके अन्तर्गत निर्यात भी हैं) (उसी स्थायी लेखा संख्यांक के अधीन बहु-जीएसटीआईएन यूनिटों के लिए आवर्त वार्षिक संपरीक्षित वित्तीय विवरण से प्राप्त किया जाएगा)	

ख	वित्तीय वर्ष के आरम्भ में बिना तैयार किए गए बिल का राजस्व	(+)	
ग	वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर असमायोजित अग्रिम	(+)	
घ	अनुसूची-1 के अधीन समझा गया प्रदाय	(+)	
ङ	वित्तीय वर्ष की समाप्ति के पश्चात् जारी साख पत्र, किन्तु जो वास्तविक रिटर्न में परिलक्षित हैं	(+)	
च	व्यापार बढ़ा, जिनका संपरीक्षित वार्षिक वित्तीय विवरण में लेखा जोखा दिया गया है, किन्तु माल और सेवा कर के अधीन अनुज्ञेय नहीं है	(+)	
छ	अप्रैल, 2017 से जून, 2017 तक आवर्त	(-)	
ज	वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर बिना तैयार किए गए बिल वाला राजस्व	(-)	
झ	वित्तीय वर्ष के आरम्भ में असमायोजित अग्रिम	(-)	
ञ	वार्षिक संपरीक्षित वित्तीय विवरण में लेखा-जोखा दिए गए साख पत्र, किन्तु जो माल और सेवा कर के अधीन अनुज्ञेय नहीं है	(-)	
ट	एसईजेड यूनिटों द्वारा डीटीए यूनिटों तक माल के प्रदाय के मद्दे समायोजन	(-)	
ठ	कंपोजिशन स्कीम के अधीन अवधि के लिए आवर्त	(-)	
ड	धारा 15 और तद्धीन बनाए गए नियमों के अधीन आवर्त में समायोजन	(+/-)	
ढ	विदेशी मुद्रा उतार-चढ़ाव के कारण आवर्त में समायोजन	(+/-)	
ण	उपरोक्त सूचीबद्ध न किए गए कारणों से आवर्त में समायोजन	(+/-)	
त	उपरोक्त समायोजनों के पश्चात् वार्षिक आवर्त		<स्व>
थ	वार्षिक रिटर्न (जीएसटीआर-9) में यथाघोषित आवर्त		
द	असमाधानकृत आवर्त (थ-त)		एटी1
6	वार्षिक सकल आवर्त में असमाधानकृत अन्तर के लिए कारण		
क	कारण 1	<<पाठ>>	
ख	कारण 2	<<पाठ>>	
ग	कारण 3	<<पाठ>>	
7	कराधेय आवर्त का समाधान		
क	समायोजन के पश्चात् वार्षिक आवर्त (उपरोक्त 5त से)		<स्व>
ख	छूट प्राप्त, शून्य दर, गैर माल और सेवा कर प्रदायों, प्रदाय नहीं आवर्त का मूल्य		
ग	कर के संदाय के बिना शून्य दर प्रदाय		
घ	ऐसे प्रदाय, जिन पर कर का संदाय प्रतिलोम प्रभार आधार पर प्राप्तिकर्ता द्वारा किया जाना है।		
ङ	उपरोक्त समायोजनों के अनुसार कराधेय आवर्त (क - ख - ग - घ)		<स्व>

च	वार्षिक रिटर्न (जीएसटीआरएन-9) में घोषित दायित्व के अनुसार कराधेय आवर्त					
छ	असमाधानकृत कराधेय आवर्त (च-ड)					एटी 2
8	कराधेय आवर्त में असमाधानकृत अन्तर के लिए कारण					
क	कारण 1	<<पाठ>>				
ख	कारण 2	<<पाठ>>				
ग	कारण 3	<<पाठ>>				
भाग. III	संदत्त कर का समाधान					
9	दर-वार दायित्व तथा उस पर संदेय रकम का समाधान					
			संदेय कर			
	वर्णन	कराधेय मूल्य	केन्द्रीय कर	राज्य कर/संघ राज्यक्षेत्र कर	एकीकृत कर	उपकर, यदि लागू हो
	1	2	3	4	5	6
क	5%					
ख	5% (आरसी)					
ग	12%					
घ	12% (आरसी)					
ङ	18%					
च	18% (आरसी)					
छ	28%					
ज	28% (आरसी)					
झ	3%					
ञ	0.25%					
ट	0.10%					
ठ	ब्याज					
ड	विलम्ब शुल्क					
ढ	शास्ति					
ण	अन्य					
त	उपरोक्त सारणियों के अनुसार संदत्त की जाने वाली कुल रकम		<स्व>	<स्व>	<स्व>	<स्व>
थ	वार्षिक रिटर्न (जीएसटीआरएन-9) में यथाघोषित संदत्त कुल रकम					
द	रकम का असमाधानकृत संदाय				पीटी 1	
10	रकम के असमाधानकृत संदाय के लिए कारण					
क	कारण 1	<<पाठ>>				
ख	कारण 2	<<पाठ>>				
ग	कारण 3	<<पाठ>>				

11	अतिरिक्त संदेय रकम, किन्तु संदत्त नहीं की गई रकम (उपरोक्त सारणी 6, 8 और 10 के अधीन विनिर्दिष्ट कारणों से)					
	नकदी के माध्यम से संदत्त किया जाए					
	वर्णन	कराधेय मूल्य	केन्द्रीय कर	राज्य/संघ राज्यक्षेत्र कर	एकीकृत कर	उपकर, यदि कोई हो
	1	2	3	4	5	6
	5%					
	12%					
	18%					
	28%					
	3%					
	0.25%					
	0.10%					
	ब्याज					
	विलम्ब शुल्क					
	शास्ति					
	अन्य (कृप्या विनिर्दिष्ट करें)					
भाग. IV	इनपुट कर प्रत्यय (आईटीसी) का समाधान					
12	शुद्ध इनपुट कर प्रत्यय (आईटीसी) का समाधान					
क	राज्य/संघ राज्यक्षेत्र के लिए संपरीक्षित वार्षिक वित्तीय विवरणों के अनुसार लाभ लिया गया इनपुट कर प्रत्यय (एक ही स्थायी लेखा संख्यांक के अधीन बहु जीएसटीआईएन यूनिटों के लिए इसे लेखाबहियों से प्राप्त किया जाना चाहिए)					
ख	चालू वित्तीय वर्ष में दावा किए गए पूर्व वित्तीय वर्षों में बुक किए गए इनपुट कर प्रत्यय (आईटीसी)				(+)	
ग	पश्चातवर्ती वित्तीय वर्ष में दावा किए जाने वाले चालू वित्तीय वर्षों में बुक किए गए इनपुट कर प्रत्यय (आईटीसी)				(-)	
घ	संपरीक्षित वित्तीय विवरणों या लेखा बहियों के अनुसार लाभ लिया गया शुद्ध प्रत्यय कर					<स्व>
ङ	वार्षिक रिटर्न (जीएसटीआर-9) में दावाकृत इनपुट कर प्रत्यय					
च	असमाधानकृत इनपुट कर प्रत्यय (आईटीसी)					आईटीसी 1
13	इनपुट कर प्रत्यय (आईटीसी) में असमाधानकृत अंतर के कारण					
क	कारण 1					<<पाठ>>
ख	कारण 2					<<पाठ>>
ग	कारण 3					<<पाठ>>
14	वार्षिक संपरीक्षित वित्तीय विवरणों या लेखा बहियों के अनुसार खर्चों पर लाभ लिए गए आईटीसी सहित वार्षिक रिटर्न (जीएसटीआर-9) में घोषित आईटीसी का समाधान					

	विवरण	मूल्य	आईटीसी की कुल रकम	लाभ ली गई पात्र आईटीसी की रकम
	1	2	3	4
क	क्रय			
ख	भाड़ा/ढुलाई			
ग	ऊर्जा और ईंधन			
घ	आयातित माल (एसईजेड से प्राप्त समेत)			
ङ	किराया और बीमा			
च	खोई हुई, चोरी हुई, नष्ट हुई, बट्टे खाते में डाली गई या उपहार या मुफ्त सैंपलों के रूप में दिए गए माल			
छ	स्वामिस्व			
ज	कर्मचारियों की लागत (वेतन, मजदूरी, बोनस आदि ।)			
झ	प्रवहण प्रभार			
ञ	बैंक प्रभार			
ट	मनोरंजन प्रभार			
ठ	लेखन सामग्री व्यय (डाक आदि सहित)			
ड	मरम्मत और अनुरक्षण			
ढ	अन्य प्रकीर्ण व्यय			
ण	पूंजी माल			
त	कोई अन्य व्यय 1			
थ	कोई अन्य व्यय 2			
द	लाभ ली गई पात्र आईटीसी की कुल रकम			<<स्व>>
ध	वार्षिक विवरणी (जीएसटीआर-9) में दावा की गई आईटीसी			
न	असमाधानकृत आईटीसी			आटीसी 2
15	आईटीसी में असमाधानकृत अंतर के कारण			
क	कारण 1			<<पाठ>>
ख	कारण 2			<<पाठ>>
ग	कारण 3			<<पाठ>>

16		आईटीसी में असमाधानकृत अंतर पर संदेय कर (ऊपर 13 और 15 में विनिर्दिष्ट कारणों से)			
वर्णन		संदेय रकम			
केन्द्रीय कर					
राज्य/संघ राज्यक्षेत्र कर					
एकीकृत कर					
उपकर					
ब्याज					
शास्ति					
भाग. V		गैर-समाधान के कारण अतिरिक्त दायित्व पर संपरीक्षक की सिफारिश			
		नकदी के माध्यम से संदेय			
वर्णन	मूल्य	केन्द्रीय कर	राज्य कर/संघ राज्यक्षेत्र कर	एकीकृत कर	उपकर, यदि लागू हो
1	2	3	4	5	6
5%					
12%					
18%					
28%					
3%					
0.25%					
0.10%					
इनपुट कर प्रत्यय					
ब्याज					
विलम्ब शुल्क					
शास्ति					
वार्षिक विवरणी (जीएसीटीआर-9) में सम्मिलित नहीं किए गए प्रदायों के लिए संदत्त कोई अन्य रकम					
वापस संदाय के लिए त्रुटिपूर्ण प्रतिदाय					

	परिनिर्धारित की जाने वाली बकाया मांगे					
	अन्य (कृपया विनिर्दिष्ट करें)					

सत्यापन :

मैं सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान और घोषणा करता हूँ कि इसमें ऊपर दी गई जानकारी मेरे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार सत्य और सही है तथा उसमें कोई बात छिपाई नहीं गई है ।

** (संपरीक्षक के हस्ताक्षर और स्टॉप/मुद्रा)

स्थान :

हस्ताक्षरकर्ता का नाम :

सदस्यता सं० :

तारीख :

पूरा पता :

.....

अनुदेश :-

1. प्रयोग किए गए निबंधन :
(क) जीएसटीआईएन : माल और सेवा कर पहचान संख्या
2. जुलाई, 2017 से मार्च, 2018 के बीच की अवधि के लिए ब्यौरे वित्तीय वर्ष 2017-18 के लिए इस विवरण में दिए जाएं । समाधान विवरण प्रत्येक जीएसटीआईएन के लिए पृथक् रूप से फाइल किया जाए ।
3. इस विवरण में चालू वित्तीय वर्ष के प्रति निर्देश, उस वित्तीय वर्ष से है, जिसके लिए समाधान विवरण फाइल किया जा रहा है ।
4. भाग-2 इस जीएसटीआईएन के लिए प्ररूप जीएसटीआर-9 के अधीन प्रस्तुत वार्षिक रिटर्न में यथाघोषित आवर्त सहित संपरीक्षित वार्षिक विवरणों में घोषित वार्षिक आवर्त के समाधान से मिलकर बना है । इस भाग को भरने के लिए अनुदेश निम्नानुसार है :

सारणी संख्या	अनुदेश
5क	<p>वार्षिक संपरीक्षित वित्तीय विवरणों के अनुसार आवर्त यहां घोषित किया जाएगा । ऐसे मामले हो सकते हैं, जहां बहु जीएसटीआईएन (राज्यवार) रजिस्ट्रीकरण एक ही स्थायी लेखा संख्या पर विद्यमान है । यह बहु राज्यों पर विद्यमानता वाले व्यक्तियों/अस्तित्वों के लिए सामान्य है । ऐसे व्यक्तियों/अस्तित्वों को अपना जीएसटीआईएन वार आवर्त आंतरिक रूप से प्राप्त करना होगा और उसे यहां घोषित करना होगा । इसके अंतर्गत निर्यात आवर्त (यदि कोई हो) भी होगा । यह नोट किया जाए कि संपरीक्षित वित्तीय विवरण के प्रति निर्देश के अंतर्गत बहुराज्यों पर विद्यमानता रखने वाले व्यक्तियों/अस्तित्वों के मामले में लेखाबहियों के प्रति निर्देश भी है ।</p>
5ख	<p>ऐसा बिना तैयार किया गया बिल वाला राजस्व, जो पिछले वित्तीय वर्ष में लेखांकन की प्रोद्घवन प्रणाली आधार पर लेखाबहियों में अभिलिखित किया गया था, और चालू वित्तीय वर्ष में अग्रणीत किया गया था, यहां घोषित किया जाएगा । अन्य शब्दों में, जब वस्तु और माल सेवा कर ऐसे राजस्व (जो पहले मान्यताप्राप्त था) पर वित्तीय वर्ष के दौरान संदेय है, तब ऐसे राजस्व का मूल्य यहां घोषित किया जाएगा ।</p> <p>(उदाहरणार्थ, यदि वित्तीय वर्ष 2016-17 के लिए विद्यमान बिना तैयार किए गए बिल वाला राजस्व दस करोड़ रुपए का है और चालू वित्तीय वर्ष के दौरान, ऐसे राजस्व के चार करोड़ रुपए पर वस्तु और सेवा कर का संदाय गिया गया है तो चार करोड़ रुपए का मूल्य यहां घोषित किया जाएगा) ।</p>
5ग	<p>ऐसे सभी अग्रियों का मूल्य, जिनके लिए माल और सेवा कर का संदाय किया गया है, किंतु उसे संपरीक्षित वार्षिक वित्तीय विवरणों में राजस्व के रूप में मान्यता नहीं दी गई है, यहां घोषित किया जाएगा ।</p>
5घ	<p>झारखण्ड माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की अनुसूची-1 के अधीन समझे गए प्रदायों का मूल्य यहां घोषित किया जाएगा । समझा गया ऐसा कोई प्रदाय, जो वार्षिक संपरीक्षित वित्तीय विवरणों में आवर्त का पहले से ही भाग है, उसे यहां सम्मिलित किया जाना अपेक्षित नहीं है ।</p>
5ङ	<p>चालू वित्तीय वर्ष में सम्मिलित किसी प्रदाय के लिए 31 मार्च के पश्चात् जारी प्रत्यय नोटों का सकल मूल्य, किंतु ऐसे प्रत्यय नोट वार्षिक विवरणी (जीएसटीआर-9) में परिलक्षित हुए थे, यहां घोषित किया जाएगा ।</p>

5च.	व्यापार छूटें, जिसका वार्षिक संपरीक्षित वित्तीय कथनों में लेखा जोखा दिया गया है किंतु इन पर माल और सेवा कर उदग्रहणीय था (अनुज्ञेय नहीं), यहां घोषित की जाएंगी ।
5छ.	अप्रैल, 2017 से जून, 2017 तक वार्षिक संपरीक्षित वित्तीय कथनों में सम्मिलित आवर्त यहां घोषित किया जाएगा ।
5ज.	चालू वित्तीय वर्ष के दौरान बिल नहीं किया गया राजस्व, जो लेखा के उदभूत तंत्र के आधार पर लेखा बहियों में अभिलिखित किया गया था किंतु उसी वित्तीय वर्ष में ऐसे राजस्व पर माल और सेवा कर संदेय नहीं था, यहां घोषित किया जाएगा ।
5झ.	सभी अग्रिमों का मूल्य, जिसके लिए माल और सेवा कर संदत्त नहीं किया गया है, किंतु जिसे वार्षिक संपरीक्षित वित्तीय कथनों में राजस्व के रूप में मान्यता दी गई है, यहां घोषित किया जाएगा ।
5ञ.	प्रत्यय नोटों का सकल मूल्य, जिसका लेखा जोखा संपरीक्षित वार्षिक वित्तीय कथनों में दिया गया है किंतु यह झारखण्ड माल और सेवा कर अधिनियम की धारा 34 के अधीन अनुज्ञेय नहीं था, यहां घोषित किया जाएगा ।
5ट.	एसईजेड द्वारा डीटीए यूनिटों को प्रदाय किए गए सभी मालों का सकल मूल्य, जिसके लिए डीटीए यूनिटों ने प्रविष्टि बिल फाइल किया है, यहां घोषित किया जाएगा ।
5ठ.	ऐसे मामले हो सकते हैं, जिसमें रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति चालू वित्तीय वर्ष के दौरान संघटक स्कीम से बाहर होने का विकल्प ले सकते हैं । वार्षिक संपरीक्षित वित्तीय कथन के अनुसार उनके आवर्त में संघटक करदाता के साथ-साथ सामान्य करदाता, दोनों के रूप में आवर्त सम्मिलित होगा । इसलिए, वह आवर्त, जिसके लिए संघटक स्कीम के अधीन माल और सेवा संदत्त किया गया था, यहां घोषित किया जाएगा ।
5ड.	ऐसे मामले हो सकते हैं, जहां झारखण्ड माल और सेवा अधिनियम, 2017 की धारा 15 के और उसके अधीन बनाए गए नियमों के अधीन मूल्यांकन सिद्धांतों के कारण कराधेय मूल्य और बीजक मूल्य में अंतर हो सकता है । इसलिए, वार्षिक विवरणी (जीएसटीआर 9) तथा वार्षिक संपरीक्षित वित्तीय कथनों में रिपोर्ट किए गए आवर्तों के बीच अंतर के कारण प्रदायों का मूल्यांकन यहां घोषित किया जाएगा ।
5ढ.	विदेशी विनिमय घटबढ के कारण वार्षिक विवरणी (जीएसटीआर 9) तथा वार्षिक संपरीक्षित वित्तीय कथनों में रिपोर्ट किए गए आवर्तों के बीच अंतर, यहां घोषित किया जाएगा ।

5ण.	ऊपर सूचीबद्ध नहीं किए गए कारणों के कारण वार्षिक विवरणी (जीएसटीआर 9) तथा वार्षिक संपरीक्षित वित्तीय कथनों में रिपोर्ट किए गए आवर्तों के बीच अंतर, यहां घोषित किया जाएगा ।
5थ.	वार्षिक विवरणी (जीएसटीआर 9) में घोषित किया गया वार्षिक आवर्त, यहां घोषित किया जाएगा । यह आवर्त वार्षिक विवरणी (जीएसटीआर 9) के क्रम संख्यांक 5ढ, 10 और 11 से व्युत्पन्न हो सकेगा ।
6.	वार्षिक संपरीक्षित वित्तीय कथनों में घोषित वार्षिक आवर्त और वार्षिक विवरणी (जीएसटीआर 9) में घोषित आवर्त के बीच गैर-समाधान के कारणों को यहां विनिर्दिष्ट किया जाएगा ।
7.	वार्षिक विवरणी (जीएसटीआर 9) में घोषित कराधेय आवर्त के साथ समायोजन के पश्चात् संपरीक्षित वार्षिक आवर्त से कराधेय आवर्त के समाधान के लिए सारणी उपबंध करती है ।
7क.	सारणी 5त में यथा व्युत्पन्न वार्षिक विवरणी बिना हस्तक्षेप के यहां भरी जाएगी ।
7ख.	छूट प्राप्त, शून्य दर, गैर-माल और सेवा कर और प्रदाय बिना आवर्त, यहां घोषित किया जाएगा । इसमें प्रत्यय नोटों, नामे नोट और संशोधनों, यदि कोई हों, को रिपोर्ट किया जाएगा ।
7ग.	शून्य दर प्रदाय का मूल्य (एसईजेड को प्रदाय समेत) जिस पर कर संदत्त नहीं किया गया है, यहां घोषित किया जाएगा । इसमें प्रत्यय नोटों, नामे नोट और संशोधनों, यदि कोई हों, को रिपोर्ट किया जाएगा ।
7घ.	विपरित प्रभार प्रदाय का मूल्य, जिस पर प्राप्तकर्ता द्वारा कर का संदाय किया जाना है, यहां घोषित किया जाएगा । इसमें प्रत्यय नोटों, नामे नोट और संशोधनों, यदि कोई हों, को रिपोर्ट किया जाएगा ।
7ङ.	कराधेय आवर्त को ऊपर सारणी 7क में घोषित समायोजन के पश्चात् वार्षिक आवर्त और सारणी 7ख, सारणी 7ग और सारणी 7घ में ऊपर घोषित सभी प्रदायों के कुल मूल्य (छूट प्राप्त, गैर-माल और सेवा कर, विपरित प्रभार आदि) के बीच अंतर के रूप में व्युत्पन्न माना जाता है ।
7च.	वार्षिक विवरणी (जीएसटीआर 9) की सारणी 4ढ में घोषित किया गया कराधेय आवर्त, यहां घोषित किया जाएगा ।
8.	समायोजित वार्षिक कराधेय आवर्त, जैसा ऊपर सारणी 7ङ से व्युत्पन्न है और सारणी 7च में घोषित कराधेय आवर्त के बीच गैर-समाधान के कारणों को यहां विनिर्दिष्ट किया जाएगा ।

5. भाग 3 समाधान कथन में घोषणा के अनुसार संदेय कर के समाधान और वार्षिक विवरणी (जीएसटीआर 9) में घोषित वास्तविक संदत्त कर से मिलकर बना है । इस भाग को भरने के लिए अनुदेश निम्नानुसार हैं :-

सारणी सं.	अनुदेश
9.	सारणी समाधान कथन के अनुसार संदत्त कर के समाधान और वार्षिक विवरणी (जीएसटीआर 9) में घोषित संदत्त कर की रकम का उपबंध करती है । "आरसी" के रूप में चिह्नित मद के अधीन प्रदाय, जहां प्राप्तकर्ता (अर्थात् वह व्यक्ति, जिसके लिए समाधान कथन तैयार किया गया है) द्वारा कर का संदाय विपरित प्रभार के आधार पर किया गया था, यहां घोषित किया जाएगा ।
9त.	सारणी 9क से 9ण में घोषित दायित्व के अनुसार संदत्त की जाने वाली कुल रकम यहां बिना हस्तक्षेप के भरी जाएगी ।
9थ.	वार्षिक विवरणी (जीएसटीआर 9) की सारणी 9 में घोषित संदेय रकम, यहां घोषित की जाएगी । इसमें वार्षिक विवरणी (जीएसटीआर 9) की सारणी 10 या 11 में संदत्त कोई अंतर वाला कर भी अंतर्विष्ट होना चाहिए ।
10.	ऊपर सारणी 9त में घोषित संदेय/दायित्व के बीच गैर-समाधान के लिए कारण तथा सारणी 9थ में संदेय रकम यहां विनिर्दिष्ट की जाएगी ।
11.	ऊपर सारणी 6, 8 और 10 के अधीन विनिर्दिष्ट कारणों से संदेय कोई रकम, यहां घोषित की जाएगी ।

6. भाग 4 इनपुट कर प्रत्यय (आईटीसी) के समाधान से मिलकर बना है । भाग 4 को भरने के लिए अनुदेश निम्नानुसार हैं :-

सारणी सं.	अनुदेश
12क.	संपरीक्षित वित्तीय कथनों के अनुसार उपभोग की गई आईटीसी (प्रत्यागम के पश्चात्), यहां घोषित की जाएगी । ऐसे मामले हो सकते हैं, जहां बहु जीएसटीआईएन (राज्यवार) रजिस्ट्रीकरण एक ही पीएएन पर विद्यमान हो सकते हैं । यह कई राज्यों में उपस्थिति वाले व्यक्तियों/अस्तित्वों के लिए सामान्य हैं । ऐसे व्यक्ति/अस्तित्व को प्रत्येक व्यष्टिक जीएसटीआईएन के लिए अपनी आईटीसी आंतरिक रूप से व्युत्पन्न करनी होगी और उसे यहां घोषित करना होगा । यहां यह उल्लेखनीय है कि संपरीक्षित वित्तीय कथन के प्रतिनिर्देश में कई

	राज्यों में उपस्थिति रखने वाले व्यक्तियों/अस्तित्वों के मामले में लेखा बहियों के प्रतिनिर्देश सम्मिलित है ।
12ख.	कोई आईटीसी, जिसे पूर्ववर्ती वित्तीय वर्षों के संपरीक्षित वित्तीय कथनों में लेखबद्ध किया गया किंतु उसका उपभोग उस वित्तीय वर्ष के आईटीसी लेजर में किया गया, जिसके लिए समाधान कथन फाइल किया जा रहा है, यहां घोषित किया जाएगा । इसमें वह संक्रमण प्रत्यय भी सम्मिलित होगा, जिसे पूर्ववर्ती वर्षों में लेखबद्ध किया गया था किंतु उसका उपभोग वित्तीय वर्ष 2017-18 के दौरान किया गया ।
12ग.	कोई आईटीसी, जिसे चालू वित्तीय वर्ष के वार्षिक संपरीक्षित वित्तीय कथन में लेखबद्ध किया गया है किंतु जिसका प्रत्यय उक्त वित्तीय वर्ष के लिए आईटीसी लेजर में नहीं किया गया है, यहां घोषित किया जाएगा ।
12घ.	वार्षिक संपरीक्षित वित्तीय कथन या लेखाबहियों के अनुसार उपभोग आईटीसी, जो ऊपर सारणी 12क, 12ख और 12ग में घोषित मूल्यों से व्युत्पन्न है, यहां बिना हस्तक्षेप के भरा जाएगा ।
12ङ.	वार्षिक विवरणी (जीएसटीआर 9) की सारणी 7अ में घोषित उपयोग के लिए उपलब्ध कुल आईटीसी, यहां घोषित किया जाएगा ।
13.	वार्षिक संपरीक्षित वित्तीय कथन या लेखा बहियों (सारणी 12घ) और वार्षिक विवरणी (जीएसटीआर 9) में उपभोग कुल आईटीसी (सारणी 12ङ) के अनुसार आईटीसी के गैर-समाधान के कारण यहां विनिर्दिष्ट किए जाएंगे ।
14.	यह सारणी वार्षिक संपरीक्षित वित्तीय कथन या लेखा बहियों में लेखबद्ध व्ययों के लिए वार्षिक विवरणी (जीएसटीआर 9) में घोषित आईटीसी के समाधान के लिए है । इस सारणी के अधीन विनिर्दिष्ट विभिन्न उपमद वार्षिक संपरीक्षित वित्तीय कथन या लेखा बहियों में साधारण व्यय हैं, जिन पर आईटीसी का उपभोग किया या नहीं किया जा सकेगा और, यह मदों की केवल एक प्रतिकारत्मक सूची है, जिसके अधीन व्ययों को साधारणतया लेखबद्ध किया जाता है । करदाता इनमें से किन्हीं मदों को जोड़ या हटा सकते हैं किंतु व्ययों के सभी मद, जिन पर माल और सेवा कर का संदाय किया गया है/संदेय है, यहां घोषित किया जाएगा ।
14द.	सारणी 14क से 14थ तक घोषित कुल आईटीसी, जहां बिना हस्तक्षेप के भरी जाएगी ।
14ध.	वार्षिकी विवरण (जीएसटीआर 9) में घोषित उपभोग की गई कुल आईटीसी यहां घोषित की जाएगी । वार्षिकी विवरण (जीएसटीआर 9)

	की सारणी 7अ को इस सारणी को फाइल करने के लिए प्रयोग किया जा सकेगा ।
15.	सारणी 12द में घोषित विभिन्न व्ययों पर उपभोग की गई आईटीसी और सारणी 12ध में घोषित आईटीसी के बीच गैर-समाधान के कारण यहां विनिर्दिष्ट किए जाएंगे ।
16.	सारणी 13 और सारणी 15 में ऊपर विनिर्दिष्ट कारणों के कारण संदेय कोई रकम, यहां घोषित की जाएगी ।

7. भाग 5 आवर्त के गैर-समाधान या इनपुट कर प्रत्यय के गैर-समाधान के कारण करदाता द्वारा निर्मोचित किए जाने वाले अतिरिक्त दायित्व पर संपरीक्षक की सिफारिश से मिलकर बना है । संपरीक्षक यह भी सिफारिश करेगा कि क्या प्रदाय के लिए संदत्त की जाने वाली कोई और रकम वार्षिक विवरणी में सम्मिलित नहीं है । कोई प्रतिदाय, जिसे त्रुटिपूर्ण ढंग से लिया गया है और जिसे सरकार को वापस संदाय किया जाएगा, उसे भी इस सारणी में घोषित किया जाएगा । अंतः में कोई अन्य बकाया मांगे, जिनके निपटारे की सिफारिश संपरीक्षक द्वारा की गई है, इस सारणी में घोषित की जाएंगी ।

8. समाधान कथन के अंत में करदाताओं को संपरीक्षक द्वारा सिफारिश किए गए अनुसार अपने करों के संदाय का विकल्प दिया जा सकेगा ।

"भाग-ख - प्रमाणीकरण

1. उन मामलों में प्रमाणीकरण, जहां समाधान कथन (प्ररूप जीएसटीआर 9ग) उस व्यक्ति द्वारा तैयार किया जाता है, जिसने संपरीक्षा का संचालन किया है :

* मैंने/हमने--

(क) को तुलन-पत्र की ;

(ख) से आरंभ होने वाले और को समाप्त होने वाली अवधि के लिए

* लाभ और हानि लेखा और/आय और व्यय लेखा की ;

(ग) यहां संलग्न से आरंभ होने वाली और को समाप्त होने वाली अवधि के लिए नकद प्रवाह कथन, मैसर्स (नाम) (पता)

(जीएसटीआईएन) की ;

परीक्षा कर ली है ।

2. हमारी संपरीक्षा के आधार पर मैं/हम यह रिपोर्ट करते हैं कि उक्त रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति--

* ने एकीकृत माल और सेवा कर/केंद्रीय माल और सेवा कर/झारखण्ड माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 और उसके अधीन बनाए गए नियमों/जारी की गई अधिसूचनाओं द्वारा यथा अपेक्षित लेखा बहियों, अभिलेखों और दस्तावेजों को रखा है ।

* ने एकीकृत माल और सेवा कर/केंद्रीय माल और सेवा कर/झारखण्ड माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 और उसके अधीन बनाए गए नियमों/जारी की गई अधिसूचनाओं द्वारा यथा अपेक्षित लेखा बहियों, अभिलेखों और दस्तावेजों को नहीं रखा है ।

1.

2.

3.

3. (क) * मैं/हम निम्नलिखित प्रेक्षकों/टिप्पणियों/कमियों/असंगतताओं, यदि कोई हों, को रिपोर्ट करते हैं :

.....

.....

3. (ख) *मैं/हम यह और रिपोर्ट करते हैं कि,--

(अ) *मैंने/हमने सभी जानकारी और स्पष्टीकरण प्राप्त कर लिए हैं जो मेरे/हमारे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार संपरीक्षा/जानकारी और स्पष्टीकरणों के लिए आवश्यक थे, जो मेरे/हमारे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास से संपरीक्षा के प्रयोजन के लिए आवश्यक थे, हमें प्रदान नहीं किए गए/आंशिक रूप से प्रदान किए गए ।

(आ) मेरी/हमारी राय में जहां तक बहियों के मेरी/हमारी परीक्षा से प्रकृत होता है, रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति द्वारा ढंग से लेखा बहियों को रखा गया है/नहीं रखा गया है ।

(इ) मैं/हम यह प्रमाणित करते हैं कि तुलन-पत्र, लाभ और हानि/आय और व्यय लेखा तथा नकद प्रवाह कथन राज्य के भीतर पर कारबार के मुख्य स्थान और कारबार के अतिरिक्त स्थान पर रखी गई लेखा बहियों के अनुसार हैं/के अनुसार नहीं हैं ।

4. झारखण्ड माल और सेवा कर अधिनियम की धारा 35(5) के अधीन प्रस्तुत किए जाने के लिए अपेक्षित दस्तावेज और झारखण्ड माल और सेवा कर अधिनियम की धारा 44(2) के अधीन प्रस्तुत किए जाने के लिए अपेक्षित समाधान कथन प्ररूप सं. जीएसटीआर 9ग के साथ संलग्न है ।

5. *मेरी/हमारी राय में और *मेरी/हमारी सर्वोत्तम जानकारी में और मुझे/हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार निम्नलिखित प्रेक्षकों/अर्हताओं, यदि कोई हों, के अध्यधीन उक्त प्रारूप सं. जीएसटीआर 9ग में दी गई विशिष्टियां सत्य और सही है :

(क)

(ख)

(ग)

.....

.....

** (संपरीक्षक के हस्ताक्षर और मुहर/सील)

स्थान :

हस्ताक्षरी का नाम

सदस्यता सं.

तारीख :

पूरा पता

II. उन मामलों में प्रमाणीकरण, जहां समाधान कथन (प्ररूप जीएसटीआर 9ग) उस व्यक्ति से भिन्न व्यक्ति द्वारा तैयार किया जाता है, जिसने संपरीक्षा का संचालन किया है :

* मैं/हम रिपोर्ट करते हैं कि मैसर्स (जीएसटीआईएन के साथ निर्धारित का नाम और पता) की लेखा बहियों और वित्तीय कथनों की संपरीक्षा अधिनियम के उपबंधों के अनुसरण में सदस्यता सं. धारण करने वाले मैसर्स (प्रास्थिति के साथ संपरीक्षक का पूरा नाम और पता) द्वारा की गई थी, और * मैं/हम निम्नलिखित की एक प्रति के साथ तारीख को उनकी संपरीक्षा रिपोर्ट की एक प्रति इसके साथ संलग्न करते हैं ।

(क) को तुलन-पत्र ;

(ख) से आरंभ होने वाले और को समाप्त होने वाली अवधि के लिए * लाभ और हानि लेखा और/आय और व्यय लेखा ;

(ग) से आरंभ होने वाली और को समाप्त होने वाली अवधि के लिए नकद प्रवाह कथन ; और

(घ) उक्त अधिनियम द्वारा *लाभ और हानि लेखा/आय और व्यय लेखा तथा तुलन-पत्र के भाग के रूप में या उससे संलग्न घोषित किए गए दस्तावेज ।

2. मैं/हम यह रिपोर्ट करते हैं कि उक्त रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति—

* ने एकीकृत माल और सेवा कर/केंद्रीय माल और सेवा कर/झारखण्ड माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 और उसके अधीन बनाए गए नियमों/जारी की गई अधिसूचनाओं द्वारा यथा अपेक्षित लेखा बहियों, अभिलेखों और दस्तावेजों को रखा है ।

* ने एकीकृत माल और सेवा कर/केंद्रीय माल और सेवा कर/झारखण्ड माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 और उसके अधीन बनाए गए नियमों/जारी की गई अधिसूचनाओं द्वारा यथा अपेक्षित लेखा बहियों, अभिलेखों और दस्तावेजों को नहीं रखा है ।

1.

2.

3.

3. झारखण्ड माल और सेवा कर अधिनियम की धारा 35(5) के अधीन प्रस्तुत किए जाने के लिए अपेक्षित दस्तावेज और झारखण्ड माल और सेवा कर अधिनियम की धारा 44(2) के

अधीन प्रस्तुत किए जाने के लिए अपेक्षित समाधान कथन प्ररूप सं. जीएसटीआर 9ग के साथ संलग्न है ।

4. *मेरी/हमारी राय में और *मेरी/हमारी सर्वोत्तम जानकारी में और अन्य सुसंगत दस्तावेजों समेत लेखा बहियों की परीक्षा के अनुसार और मुझे/हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार निम्नलिखित प्रेक्षणों/अर्हताओं, यदि कोई हों, के अध्यधीन उक्त प्ररूप सं. जीएसटीआर 9ग में दी गई विशिष्टियां सत्य और सही है :

(क)

(ख)

(ग)

.....

.....

** (संपरीक्षक के हस्ताक्षर और मुहर/सील)

स्थान :

हस्ताक्षरी का नाम

सदस्यता सं.

तारीख :

पूरा पता"

[सं.सं .वा०कर/जी०एस०टी०/04/2018]

झारखंड राज्यपाल के आदेश से,

के० के० खण्डेलवाल,

अपर मुख्य सचिव

टिप्पण : मूल नियमावली, झारखण्ड के राजपत्र, असाधारण, एस. ओ. सं. 28, तारीख 20 जून, 2017 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और उनका अंतिम संशोधन अधिसूचना सं. 48/2018- राज्य कर तारीख 05 अक्टूबर, 2018, एस. ओ. सं- 75 तारीख 05 अक्टूबर, 2018 द्वारा प्रकाशित की गई थी,
